

18/11/14

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
Department of Revenue
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
(Income-tax)

CORRIGENDUM

New Delhi, dated the 15th November, 2014

S.O.....(E). In the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes, number S.O. 2915(E), dated 13th November, 2014 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 13th November, 2014, in the Schedule-I,

(i) against serial number 6 in column (4), the number and words "(x) Principal Commissioner / Commissioner of Income-tax(Central), Vishakhapatnam" are inserted;

(ii) against serial number 6 in column (5) the word "Vishakhapatnam" is inserted against the number and words "(x) Principal Commissioner / Commissioner of Income-tax(Central) Vishakhapatnam" so inserted in column (4);

(iii) against serial number 9 in column (4), the number and words "(xiv) Principal Commissioner / Commissioner of Income-tax(Central), Kolkata-3" are omitted along with the corresponding entry "Kolkata" in column (5);

(iv) in column (4), the numbers (x), (xi), (xii) and (xiii) are renumbered as (xi), (xii), (xiii) and (xiv) respectively.

[Notification No. 71/2014. F. No. 187/37/2014 (IT'A.1)]



DEEPSHIKHA SHARMA
Director to the Government of India

To
The Manager
Government of India Press
Ring Road, Mayapuri Industrial Area (Near Rajouri Garden), New Delhi.

Slno
L
18/11/14

[भारत के राजपत्र असाधारण, के भाग-II खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
आयकर विभाग


शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, दिनांक: 15 नवम्बर, 2014

का.आ. (अ)- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या क.अ. 2915(अ), दिनांक 13 नवम्बर, 2014, जिसे भारत के राजपत्र असाधारण, के भाग-II खंड 3, उपखंड (ii) में दिनांक 13 नवम्बर, 2014 को प्रकाशित किया गया था, की अनुसूची-I में-

- (i) क्रम संख्या 6 के सामने कॉलम (4) में संख्या और शब्द "(x) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य), विशाखापट्टनम" अंतः स्थापित किया जाता है जिनका मुख्यालय विशाखापट्टनम, जिसे कॉलम (5) में अंतः स्थापित किया जाना है, होगा;
- (ii) क्रम संख्या 6 के सामने कॉलम (5) में संख्या और शब्द "(x) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य), विशाखापट्टनम" जो कॉलम (4) में अंतः स्थापित किये गए हैं, के सामने शब्द "विशाखापट्टनम" अंतः स्थापित किया जाता है;
- (iii) क्रम संख्या 9 के सामने कॉलम (4) में संख्या और शब्द "(xiv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य), कोलकता-3" और कॉलम (5) में तदनुसूची प्रविष्टि "कोलकता" का लोप किया जाता है;
- (iv) कॉलम (4) में संख्या (x), (xi), (xii) और (xiii) का क्रमशः संख्या (xi), (xii), (xiii) और (xiv) के रूप में संशोधित किया जाता है।

[अधिसूचना संख्या 7/2014.फा.सं.187/37/2014(आईटीए.1)]



(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र
(निकट राजौरी गार्डन), नई दिल्ली।